उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4
लखनऊः दिनांक 07 नवम्बर, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा-22(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद का गठन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-784/71-4-2021 दिनांक 06.08.2021 द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-25/71-4099-191-2021 दिनांक 17.02.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख रेख परिषद नियमावली 2023 जारी की गयी है।

2- उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद में THE NATIONAL COMMISSION FOR ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONS ACT, 2021 NO. 14 OF 2001 **की धारा-22 (3)(b)** के अन्तर्गत डा0 आर0 के0 वर्मा, निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर तथा **धारा-22(3)(c)** के अन्तर्गत डा0 मनीष सिंह, विभागाध्यक्ष, न्यूरोसर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, कानपुर एवं डा0 वी0 के0 पाण्डेय, विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, प्रयागराज को पदेन सदस्य (ex-officio) एतद्द्वारा नामित किया जाता है:-

Signed by श्रीप्रकाश गुप्त(श्री प्रकाश गुप्ता)
विशेष सचिव
Date: 07-11-2023 15:42:16
Reason: Approved

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4. सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
5. नामित सदस्य द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक,हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
7. डा0 मनीष सिंह, विभागाध्यक्ष, न्यूरोसर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, कानपुर।
8. डा0 वी0 के0 पाण्डेय, विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव